


1. खनिज शाखा का संरचनात्मक ढांचा



बिन्दु क्र० 2— कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी

क्र०	नाम	पदनाम	कर्तव्य	वेतन
1	एन० लाकरा	खनिज अधिकारी	खनिज संसाधन लक्ष्य उपलब्धी एवं राजस्व आय	8000+डी/ए/
2	अशोक नागले	खनिज निरीक्षक	खनिज संसाधन के कार्य का पर्यवेक्षण (सुपरवीजन)	4000+डी/ए/
3	महेश मथुरिया	सहायक मानचित्रकार	खदानों के मानचित्र बनाना	6800+डी/ए/
4	हेमराज जाटव	सहायक ग्रेड-2	कार्यालयीन कार्य	6000+डी/ए/
5	दीपक कुमार भिलवारे	सहायक ग्रेड-3	कार्यालयीन कार्य	3125+डी/ए/
6	लक्ष्मण सिंह	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	3200+डी/ए

बिन्दु क्र० 3—कार्यालय की निर्णय प्रक्रिया

जिला कार्यालय पुस्तिका के अध्याय 13 के अनुसार

1. शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/हिदायतों को पूरा किया जाना
2. प्राप्त आवेदन पत्र का निर्धारित पंजी पर इन्द्राज
3. अन्वेषण एवं जांच कार्य
4. अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण
5. अनुज्ञा की स्वीकृति का करार पत्र का निष्पादन तथा जमानत
6. स्वीकृत अनुज्ञा पर देय डेडरेन्ट/रायल्टी/अमानत राशि उपरांत कार्य संचालन हेतु रायल्टी (परिवहन) पास बुक जारी किया जाना
7. अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियंत्रण

8. शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति
9. चूक अथवा अवैध कार्यों से बकायादारों से राशि की वसूली
10. कार्यालयीन अभिलेख का अघतिकरण तथा निराकृत नस्तियों का जिला रिकार्ड में दाखिला

बिन्दु क्र० 4- कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य का निपटाया जाना

1	नवीन खनिज के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण एवं नवीनीकरण	एक वर्ष
2	स्वीकृत/नवीनीकृत खदान पर डेडरेन्ट	प्रत्येक वर्ष की बीस जनवरी तक
3	स्वीकृत/नवीनीकृत खदान का करार पत्र का निष्पादन एवं अमानत राशि	तीन माह
4	स्वीकृत/नवीनीकृत खदान पर खनिज उत्खनन की संक्रियाओं का प्रारम्भ	करार पत्र के निष्पादन से एक वर्ष के भीतर
5	अनुज्ञाधारी द्वारा उत्खनि खनिज की जानकारी	प्रत्येक माह में दस तारीख तक
6	स्वीकृत/नवीनीकृत खदान का कर निर्धारण	वर्ष में दो वार(जून एवं दिसम्बर में)
7	व्यापारिक खदान की नीलामी की घोषणा	नीलामी दिनांक से 15 दिन पूर्व
8	व्यापारिक/चिन्हित खदानों का घोष विक्रय	दो वर्ष के लिये
9	व्यापारिक खदान का करार पत्र का निष्पादन एवं अमानत राशि	30 दिन में
10	व्यापारिक खदान की उत्खनन संक्रियाओं का प्रारम्भ	भूमि/खदान का मौके पर कब्जा प्राप्ति दिनांक
11	ठेकेदार द्वारा उत्खनि खनिजों की जानकारी	प्रत्येक माह की दस तारीख
12	कर निर्धारण	प्रत्येक वर्ष में एक वार

13 राज्य शासन द्वारा निर्धारित सिटीजन चार्टर के अनुसार

म०प्र०शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के ज्ञा०क्र० एफ//19/11/99/12/2 दिनांक

14-12-01 से सिटीजन चार्टर खनि रियायत आवेदन के संबंध में निर्धारित

क्र०	कार्य गतिविधियां	प्रभारी विहित अधिकारी	निपटारे की समयवधि	निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर	शिकायत निराकरण हेतु निर्धारित समय

				जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है	सीमा
--	--	--	--	----------------------------------	------

खनि रियायतो हेतु प्राप्त आवेदनो का निराकरण

1	मुख्य खनिज की रियायत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	प्रभारी अधिकारी / अधीक्षक कार्यालय	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि उसी दिन अंकित हो	कलेक्टर	15 दिवस
अ	गौण खनिज की खनि अधिकारी खनि रियायत, उत्खनि पट्टा, उत्खनन अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र शाखा मे प्राप्त करना	सहायक खनिज अधिकारी	---तदैव --- 15 दिवस	---"---	---"---
2	आवेदन पत्रो की प्रारम्भिक जांच एवं यदि आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटि पूर्ण हो तो उसे पूर्ण या सुधार हेतु आवेदन की सूचना देना	---"---	---तदेव --- 10 दिवस	---"---	---"---
3	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त	तहसीलदार / वनमण्डलि कारी / खनिज निरीक्षक	2 माह अपूर्ण त्रुटि पूर्ण आवेदन पूर्ण होने की दिनांक	---"---	---"---

4	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच	प्रभारी अधिकारी / खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी	30 दिवस	---"---	---"---
5	खनि रियायत के आवेदन पत्र पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति / खनि पट्टा / रिकोनेसेन्स परमिट / उत्खनि पट्टा अंतिम निराकरण के लिये अग्रेसित किया जाना	संभागीय आयुक्त	10 दिवस	कलेक्टर / अपर कलेक्टर	---"---

नई खदान घोषित करने के संबंध में -

1	नई खदान घोषित किये जाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करना	अधीक्षक / खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि उसी दिन अंकित हो 30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
2	आवेदित क्षेत्र की स्थल जांच	तहसीलदार / खनि निरीक्षक	30 दिवस	---"---	---"---
3	नई खदान घोषित करने के संबंध में अंतिम आदेश	कलेक्टर	15 दिन जांच पूर्ण होने के दिनांक से	कलेक्टर / अपर कलेक्टर	---"---

विन्दु क्रमांक 5 :-

1. जिला कलेक्ट्री मेन्युअल
2. मध्य प्रदेश खान एवं खनिज मेन्युअल मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996

विन्दु क्रमांक 6 :-

कार्यालय में संधारित विभिन्न अभिलेख

1. फार्म (छ) में अन्वेषण लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की पंजी, खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 21 (1) देखियें ।
2. फार्म में खनिकर्म पट्टों के आवेदन पत्रों की पंजी, खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 40 (1) देखियें ।
3. खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 21(2) के अनुसार फार्म (ज) में अन्वेषण लाइसेंस की पंजी
4. खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 4(2) के अनुसार फार्म (ड) में खनिकर्म पट्टों की पंजी
5. खदान पट्टों के आवेदन पत्रों की पंजी
6. खदान पट्टों की मानक पंजी
7. मांग और संग्रहण पंजी (खनिकर्म आगम की खतौनी)
8. खनिकर्म आगम प्राप्तियों की दैनिक वर्गीकरण पंजी
9. खनिकर्म पट्टों की अन्तरण पंजी
10. जिले की खदान (वार्षिक नीलामी) पंजी
11. जिले के ऐसे खनिकर्म क्षेत्रों की पंजी जिनके भू-तज लगान(सर्फेस रेंट) संराशिकृत किये जा चुके हों ।
12. अन्वेषण लाइसेंस पर धारित क्षेत्र दर्शाने वाली पंजी
13. मंजूर खनिज रियायतों के अन्तरण की पंजी

विन्दु क्रमांक 7 :-

निरंक

विन्दु क्रमांक-8 :-

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अधीन म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 10 का (3) में स्थापित जिला वितरण समिति का गठन के अनुक्रम में आदेश दिनांक 14/02/05 से निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है ।

- | | | |
|----|--|---------|
| 1/ | माननीय प्रभारी मंत्री महोदय | अध्यक्ष |
| 2/ | माननीय सांसद महोदय क्षेत्र गुना एवं राजगढ | सदस्य |
| 3/ | माननीय विधायक महोदय गुना/राधौगढ/चांचौडा/शाढौरा | सदस्य |
| 4/ | माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत | सदस्य |

विन्दु क्रमांक 9 एवं 10 :-

नाम	पदनाम	कर्तव्य	वेतन	सुविधायें
एन0 लाकरा	खनिज अधिकारी	खनिज संसाधन लक्ष्य उपलब्धी एवं राजस्व आय	8000+डी / ए /	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता
अशोक नागले	खनिज निरीक्षक	खनिज संसाधन के कार्य का पर्यवेक्षण (सुपरवीजन)	4000+डी / ए /	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता
महेश मथुरिया	सहायक मानचित्रकार	खदानो के मानचित्र बनाना	6800+डी / ए /	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता
हेमराज जाटव	सहायक ग्रेड-2	कार्यालयीन कार्य	6000+डी / ए /	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता
दीपक कुमार भिलवारे	सहायक ग्रेड-3	कार्यालयीन कार्य	3125+डी / ए /	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता
लक्ष्मण सिंह	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	3200+डी / ए	आवास / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / यात्रा भत्ता

विन्दु क्रमांक :- 11

बजट आबंटन एवं व्यय संबंधी कार्यवाही लेखा शाखा कलेक्टोरेट द्वारा की जा रही है ।

विन्दु क्रमांक 12 :-

विभाग से संबंधित नहीं है ।

विन्दु क्रमांक 13 :-

विभाग से संबंधित नहीं है ।

विन्दु क्रमांक 14 :-

निरंक

विन्दु क्रमांक 15:-

निरंक

विन्दु क्रमांक 16 :-

विभाग से संबंधित नहीं है ।

विन्दु क्रमांक 17 :-
निरंक